परिवार पहचान पत्र (PPP)

चर्चा में क्यों?

हरियाणा **परिवार पहचान प्राधिकरण ने** परिवार पहचान पत्र संबंधी डाटा साझा करने के संबंध में सख्त नियम जारी किये।

- ये नए विनियम उन शर्तों को परिभाषित करते हैं जिनके अंतर्गत **पारिवारिक सूचना डाटा भंडार से पारिवारिक जानकारी को** व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए सरकारी संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु

- **डाटा साझा करने का उद्देश्य** : साझा किये गए डाटा का उपयोग केवल सरकारी कार्यक्रमों, भर्ती सत्यापन और सार्वजनिक सेवा लाभों के लिये किया जा सकता है।
- **प्रतिबंधित डाटा साझाकरण** : डाटा केवल **'पात्र राज्य संस्थाओं' के साथ साझा किया जा सकता है,** जिसमें **केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य सरकार, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम** और अन्य सरकार-नियंत्रित एजेंसियाँ शामिल हैं।
- **पारिवारिक पहचान: प्रत्येक परिवार को आठ अंकों की पारिवारिक पहचान** मिलेगी, जो **जन्म, मृत्यु** और **विवाह प्रमाण-पत्र** जैसे आवश्यक अभिलेखों से जुड़ी होगी।
    - जब भी कोई जीवन घटना जैसे **जन्म, मृत्यु** या **विवाह** घटित होगी, तो परिवार **आईडी स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी।**
- **सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण:** डाटा बेस को **छात्रवृत्ति, सब्सिडी** और **पेंशन सहित विभिन्न स्वतंत्र योजनाओं से जोड़ा जाएगा,** जिससे लाभार्थी चयन में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित होगी।
- **स्वचालित लाभार्थी चयन:** PPP डाटा बेस में डाटा पात्रता का निर्धारण करेगा, जिससे **सरकारी लाभों के लिये स्वचालित स्व-चयन की अनुमति मिलेगी।**
- **बार-बार दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता समाप्त:** एक बार प्रमाणीकरण और सत्यापन हो जाने के बाद, लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लिये अलग-अलग दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट: पीपीपी पहल [**डिजिटल गवर्नेंस**] की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य हरियाणा के निवासियों के लिये **सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सरल बनाना है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/family-identity-card-1